आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 907 /इंदौर /2018
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री विनोद हसनंदानी, इंदौर	बनाम	आयकर उपायुक्त 2 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएईपीएच 7609 सी		

आ. अ. सं. 908 /इंदौर /2018
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्रीमती प्रियंका हसनंदानी, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 2 (4), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएईपीएच 7608 डी		

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस.एन.अग्रवाल, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आर.एस.अंबेडकर, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	22.10.2019
उद्घोषणा तिथि	23.10.2019

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अलग-अलग निर्धारितियों द्वारा ये अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर के अलग-अलग आदेशों दोनों दिनांक 18.09.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारितियों को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किए थे । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारितियों को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पारित नहीं किये थे जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । ये अपीलें निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं । निर्धारितियों को भी इस संबंध में स्वप्रेरणा से (suo motu) विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने तथा अनावश्यक स्थगन नहीं मांगकर सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

आदेश 23.10.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 23.10.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल